[illegible] लक्ष्मीकांत गुप्ता, खा.सु.अ.   बनाम :– श्री ब्रह्मानन्द व अन्य

[illegible] :– खाद्य सुरक्षा   मुकदमा संख्या :– 72 वर्ष :– 2016

	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाऐं जारी की गई
18.3.21	पत्रावली पेश हुई। मामले में उभय पक्ष द्वारा की गयी बहस का रेकार्ड के मुकाबले अध्ययन किया। आरोपीगण के अधिवक्ता का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन में खाद्य उत्पाद पर मिलाई गयी शर्करा की मात्रा लेबल पर अंकित न होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनिमय, 2011 के नियम 2.10.6(1)(1) का उल्लंघन माना है। इस संबंध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा.सं.1–94(1) एफएसएसएआई / एसपी(लेबलिंग) / 2014 दिनांक 11.09.2017 द्वारा नियम 2.10.6(1)(1) में संशोधन किया जा चुका है जिसके अनुसार मिलाई गई शर्करा की मात्रा का लेबल पर अंकन किया जाना को विलोपित कर दिया गया हैं। अतः शर्करा की मात्रा को अब गैर एल्कोहॉली कार्बनिकृत बेबरेज पर अंकित करना अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08.12.2017 द्वारा आदेश पारित कर दिया गया हैं। अतः उक्त आधार पर न्याय निर्णयन आवेदन में कार्यवाही ड्रोप की जावें। मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा 2016(1)एफएसी561एससी की प्रति न्यायिक दृष्टांत के रूप में पेश की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मामले में निवेदन किया गया है कि आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नोटिफिकेशन दिनांक 11.09.2017 की प्रति अनुसार किया गया संशोधन प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि अपराध कारित करने की दिनांक उक्त दिनांक से पूर्व की है। आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में क्रीमिनल लॉ विधि retrospective effect में का सिद्वांत बताया है परन्तु खाद्य सुरक्षा एवं मानक सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 68 में न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष चल रही प्रोसिडिंग एक क्रीमिनल प्रक्रिया न होकर एक सिविल प्रक्रिया हैं। इस प्रकार आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार गुप्ता विरूद्व शासन में पारित निर्णय के चरण संख्या 21 में स्पष्ट किया हैं कि जहां सिविल प्रक्रिया सहिंता के आधार पर प्रकरण विचारणीय होता हैं वहां आपराधिक प्रक्रिया सहिंता अथवा क्रीमिनल विधि के सिद्वांत लागू नहीं होते हैं। अतः आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते कार्यवाही ड्रोप खारिज किया जावें। उभय पक्ष द्वारा की गयी बहस, एवं उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना दिनांक 23.05.2016 को लिया गया हैं। जिसका विश्लेषण खाद्य विश्लेषक द्वारा किया जाकर दिनांक 22.06.2016 को विश्लेषण रिपोर्ट जारी की हैं, जिसमें शर्करा की मात्रा अंकित न होने से खाद्य नमूना एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के नियम 2.10.6(1)(1) का उल्लंघन मानते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्ड माना हैं। मामले में दिनांक 11.09.2017 को जारी अधिसूचना द्वारा खाद्य नमूना एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के नियम 2.10.6(1)(1) में उक्त प्रावधान को विलोपित कर दिया हैं एवं इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा भी ऐसे मामलों को विड्रो किये जाने आदि संबंधी आदेश दिनांक 08.12.2017 को जारी किया हैं। चूंकि मामले में निर्णय से पूर्व उक्त संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका हैं एवं आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार भी उक्त अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन का लाभ न्याय के नेसर्गिक सिद्वांत के अनुसार आरोपीगण को देय हैं। इस प्रकारा आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते इस प्रकार आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते हैं। अतः आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप किये जाने बाबत् स्वीकार किया जाता हैं एवं मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में आरोपीगण के विरूद्व कार्यवाही इस स्टेज पर ड्रोप की जाती हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।	